

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक 342/कम्प्यू. हा./2025

उज्जैन, दिनांक-

-: परिपत्र :-

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक 1660 दिनांक 20.11.2024 के माध्यम से वित्त वर्ष के लिए न्यायालयों के कार्य हेतु 12 कॉर्टेज प्रदाय किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। जिला स्थापना उज्जैन पर कार्यरत न्यायालयों/अनुविभागों में माननीय उच्च न्यायालयों से प्राप्त एच.पी., क्योसेरा एवं केनन के लेजर प्रिंटर संस्थापित होकर कार्यरत हैं।

प्रायः देखने में आया है कि जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों के कई न्यायालयों में 04 से 05 लेजर प्रिंटर्स से कार्य लिया जा रहा है। प्रत्येक न्यायालय के लिए वित्त वर्ष में कुल 12 कॉर्टेज ही प्रदाय की जानी है। ऐसी स्थिति में न्यायालयों में कार्यरत मल्टीफंक्शनल प्रिंटर क्योसेरा 2201/क्योसेरा Ecosys M4125idn से कार्य लिया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 1368 दिनांक 03.11.2022 के माध्यम से न्यायालयों में कार्यरत लेजर प्रिंटर्स से कार्य लिए जाने के साथ-साथ क्योसेरा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स (फोटोकॉपी मशीनों) से अधिकतम कार्य लिया जावे।

अतः लेख है कि न्यायालयों में कार्यरत लेजर प्रिंटर्स से कार्य लिये जाने के साथ-साथ क्योसेरा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर (फोटोकॉपी मशीन) से भी कार्य लिया जावे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

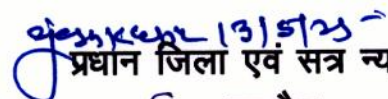

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन

13 MAY 2025

पृष्ठांकन क्र. 5335/कम्प्यू. हा./2025

उज्जैन, दिनांक-

1. समस्त न्यायालय, जिला न्यायालय उज्जैन तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी लेखा/नजारत/मालखाना/फाइलिंग/कॉपिंग/सांख्यिकी/अभिलेखागार/ग्रन्थालय, जिला न्यायालय उज्जैन एवं तहसील न्यायालय बड़नगर/महिदपुर/खाचरौद/नागदा/तराना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन